भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2387

09 मई, 2016 को उत्तर के लिए

नाल्को द्वारा भूमि अधिग्रहण

2387. डॉ. उदित राजः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नाल्को दामनजोड़ी पर जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें आज की तिथि के अनुसार मुआवजा और सम्यक लाभ नहीं दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसे अधिकांश लोग, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, वो नाल्को की ओर से अकर्मण्यता के कारण दरिद्रता में जी रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)</u>

(क) : वर्ष 1982 से 1984 के दौरान कुल 4352.83 एकड निजी भूमि को दामनजोड़ी में नालको के लिए ओडिसा सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया है तथा भूमि से वंचित होने वालों को इस प्रकार अधिग्रहित भूमि के लिए ओडिसा सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार 1.58 करोड़ रूपए आर्थिक क्षतिपूर्ति (30 प्रतिशत मुआवजा सहित) दी गई है । इसके अतिरिक्त, भूमि से वंचित होने वालों को कंपनी की नीति के अनुसार पुनर्वास एक पुन:स्थापन का लाभ भी दिया गया है ।

(ख), (ग) एवं (घ) : नालको द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार नालको तथा जिला राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों (एलडीपी) की पहचान की जानी थी

और तब विशेष रूप से निर्मित पुनर्वास कॉलोनी में पुनर्वास किया जाना था एवं इस प्रकार पहचान किए गए प्रत्येक विस्थापित परिवार से एक समर्थ व्यक्ति को उसके/उसकी उपयुक्तता एवं पदों की उपलब्धता की शर्त पर नियोजन के लिए प्रस्ताव दिया जाना था ।

अभी तक, 600 एलडीपी परिवारों में से 598 एलडीपी परिवारों को व्यक्तिगत मकान आबंटित करके पुनर्वास किया गया है और 599 को रोज़गार दिया गया तथा शेष एक व्यक्ति को नामांकन पूरा होने के पश्चात रोज़गार दे दिया जाएगा । पुनर्वास का लाभ ऐसे एलडीपी पर्याप्त रूप से प्रभावित व्यक्तियों (एसएपी) को भी दिया गया है जिन्होंने अपनी भूमि के एक तिहाई भाग से अधिक भूमि खोई हैं । जिला प्रशासन और नालको ने संयुक्त रूप से मार्च, 2015 के दौरान 235 एसएपी परिवारों की पहचान की है । एसएपी अथवा उनके नामिती जो तत्काल रोज़गार दिए जाने के लिए पात्र नहीं है वे नालको द्वारा शिक्षा के लिए प्रायोजित किए जाने पर अपेक्षित योग्यता को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते है; अथवा खोई हुई भूमि की मात्रा के अनुरूप 25 वर्षों की वार्षिकी का विकल्प चुन सकते है; अथवा रोज़गार के प्रस्ताव के एवज में अधिग्रहीत भूमि की मात्रा के आधार पर 2.5 लाख से लेकर 15 लाख रूपए तक की एक मुश्त नगद राशि लेने का विकल्प चुन सकते है ।

*****